

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 812  
दिनांक 07.02.2024 को उत्तर देने के लिए

डीएमएफ

812. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार की गई है और इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने एफ. सं. 7/9/2021-एम4 दिनांक 23 अप्रैल, 2021 के माध्यम से देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी किए हैं कि संबंधित जिले के जिला कलेक्टर, जिला खनिज फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष होंगे;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार उक्त आदेश को कार्यान्वित करने/नहीं करने वाले राज्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य द्वारा केन्द्र सरकार के उपरोक्त आदेशों को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री  
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): जी, हां। दिनांक 23 अप्रैल, 2021 के आदेश फा.सं.7/9/2021-एम.IV के कार्यान्वयन की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य ने उक्त आदेश लागू कर दिया है।

\*\*\*

अतारांकित प्रश्न संख्या-812 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

दिनांक 23.04.2021 के आदेश द्वारा शासी परिषद् के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर		
क्र. सं.	राज्य	स्थिति
1	आंध्र प्रदेश	अनुपालन
2	छत्तीसगढ़	अनुपालन
3	गोवा	अनुपालन
4	गुजरात	अनुपालन
5	झारखंड	अनुपालन
6	कर्नाटक	प्रगति पर
7	महाराष्ट्र	अनुपालन
8	मध्य प्रदेश	अनुपालन
9	ओडिशा	अनुपालन
10	राजस्थान	अनुपालन
11	तमिलनाडु	अनुपालन
12	तेलंगाना	प्रगति पर
13	असम	अनुपालन
14	बिहार	अनुपालन
15	हिमाचल प्रदेश	अनुपालन
16	जम्मू और कश्मीर	अनुपालन
17	केरल	अनुपालन
18	मेघालय	अनुपालन
19	उत्तराखंड	अनुपालन
20	उत्तर प्रदेश	अनुपालन
21	पश्चिम बंगाल	अनुपालन
22	पंजाब	अनुपालन
23	हरियाणा	अनुपालन